पंचकूला में किसानों का प्रदर्शन, पुलिस ने सीएम आवास पर जाने से रोका

संगठन ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन, कहा- अगर मांगें हल न हुईं तो फिर आएंगे चंडीगढ़

एस.अग्निहोत्री/ हप्र
पंचकूला 25 फरवरी

ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के तत्वावधान में मंगलवार को हजारों किसान मजदूरों ने पंचकूला में धरना स्थल पर इकठ्ठा होकर चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री के आवास की ओर कूच किया, जिसे आवास पर पहुंचने से पहले ही पुलिस ने रोक लिया। वहां से संगठन के एक प्रतिनिधिमंडल को हरियाणा मुख्यमंत्री आवास पर ले जाया गया। किसान प्रतिनिधिमंडल में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यवान, प्रदेश अध्यक्ष अनूप सिंह मातनहेल, सचिव जयकरण माण्डौठी, कामरेड राजेंद्र सिंह एडवोकेट शामिल रहे। संगठन ने मुख्यमंत्री के नाम अपने 15 सूत्री ज्ञापन में मांग की कि हरियाणा विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को भेजा जाए जिसमें हाल ही में भारत सरकार द्वारा नेशनल पालिसी फ्रेमवर्क ऑन मार्केटिंग के शीर्षक से जारी कृषि बाजार नीति का मसौदा रद्द करने की मांग की जाए।

ज्ञापन में बताया गया कि किसान-विरोधी यह ड्राफ्ट नीति उन तीन काले कृषि कानूनों से भी खतरनाक है, जिन्हें किसानों ने शानदार आंदोलन और शहादत देकर रद्द करवाया था।

पंचकूला में मंगलवार को प्रदर्शनकारी किसान-मजदूरों को सीएम आवास पर जाने से रोकते पुलिस कर्मचारी। -रवि कुमार

इस नीति का उद्देश्य कृषि मार्केटिंग पर बड़े पूंजीपति घरानों, निर्यातकों व खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष नियन्त्रण कायम कराना है। इसके फलस्वरूप किसानों की बेरोकटोक लूट होगी और देश में अनाज समेत समस्त खाद्य सामग्री भयंकर महंगी हो जाएंगी जिससे कुपोषण व भुखमरी बढ़ेगी। इस मसौदे में एमएसपी का कहीं कोई जिक्र तक नहीं है। ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन ने मांग की कि किसानों की लागत खर्च से डेढ़ गुना (सी2+50फीसदी) एमएसपी रेट पर फसलों की सरकारी खरीद का गारंटी कानून बनाया जाए, बिजली बिल 2023 व स्मार्ट बिजली मीटर स्कीम पर रोक लगाई जाए, किसानों व खेत मजदूरों के कर्ज समाप्त किए जाएं, खाद-बीज-कीटनाशक, डीजल आदि कृषि उपयोगी चीजों को सस्ते दामों पर पर्याप्त मात्रा में समय पर उपलब्ध कराया जाए, फसल खराबे का प्रति एकड़ 50,000 रुपये मुआवजा दिया जाए, ग्रामीण गरीबों को पूरे साल रोजगार दिया जाए, अवारा पशुओं की रोकथाम की जाए।

बुजुर्गों के लिए बुढ़ापा पेंशन 10,000 महीना मांगी

किसानों ने यह भी मांग की कि उपभोक्ता हितों के विरुद्ध लोकसभा में पेश बिजली बिल-2023 वापस लिया जाए। प्रदेश सरकार स्मार्ट बिजली मीटर लगाना तत्काल बंद करे। ज्ञापन में कहा कि फसल बिजाई के समय डीएपी खाद की सप्लाई करने में केन्द्र व प्रदेश सरकार पूरी तरह से विफल रही है। किसानों को फसल खराबे का मुआवजा दो-दो साल तक नहीं मिलता। संगठन ने मांग की है कि सरकार ग्रामीण गरीबों को पूरे साल काम और उन्हें रिहायशी प्लाट दे। सभी बुजुर्गों को बुढ़ापा पेंशन 10,000 महीना दी जाए। रेवाड़ी के माजरा में निर्माणाधीन एम्स में ओपीडी खुलवाई जाएं और एमबीबीएस क्लासें चालू करवाई जाएं। संगठन ने कहा कि प्रदेश की मिड-डे-मील, आशा व आंगनवाड़ी वर्कर-हेल्पर किसान मजदूर श्रमिक परिवारों से हैं,उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और निर्माण मजदूरों को उनके हितलाभ देना सुनिश्चित किया जाए। हरियाणा प्रदेश में जी-का-जंजाल बन चुकी परिवार पहचान पत्र (फैमिली आईडी) स्कीम को रद्द किया जाए। हरियाणा सरकार रोडवेज का निजीकरण न करे और शासक पार्टी द्वारा राजनैतिक रैलियों में रोडवेज बसों का दुरुपयोग बंद करे। हरियाणा प्रदेश की राजधानी, उच्च न्यायालय और विधानसभा हरियाणा के बीच में रोहतक जैसे किसी भी स्थान पर बनाने की मांग की गई। प्रदेश में सिंचाई एवं पेयजल की समुचित व्यवस्था की जाए, नूह जिला में तो स्थिति अत्यंत खराब है।

राज्य स्तरीय विरोध प्रदर्शन में प्रदेश भर से आए किसान

गौरतलब यह है कि एम्स संघर्ष समिति मनेठी ने भी माजरा एम्स में ओपीडी एवं एमबीबीएस की क्लास शुरू करवाने के लिए अलग से ज्ञापन मुख्यमंत्री को प्रेषित किया है। ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अनूप सिंह ने कहा कि किसान मजदूरों की मांग पूरी नहीं की तो प्रदेश के किसान मजदूर फिर चंडीगढ़ आयेंगे। राज्य स्तरीय विरोध प्रदर्शन में प्रदेश भर के किसानों ने हिस्सा लिया जिनमें कैथल, कुरुक्षेत्र, भिवानी, दादरी, रोहतक, सोनीपत, हिसार, पानीपत, करनाल, झज्जर, गुड़गांव, रेवाड़ी, नूह, महेन्द्रगढ़ जिलों के किसानों व खेत मजदूरों की अच्छी खासी भागीदारी रही।

हाउसिंग एंड अर्बन डेवेलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम, एक नवरत्न सीपीएसई)
हुडको क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़
प्लाट नं. 2, संचार सदन, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 34-ए, चंडीगढ़
फोन नं. 0172-2648956

ई-नीलामी के माध्यम से अचल प्रापर्टी की बिक्री हेतु सूचना

सर्व साधारण को विधिवत सूचित किया जाता है कि हाउसिंग एंड अर्बन डेवेलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (हुडको) द्वारा ई-नीलामी के माध्यम से चंडीगढ़ में हुडको के स्वामित्व * वाले 03 अदद फ्लैट बेचने का प्रस्ताव है। प्रापर्टी का विवरण निम्न है-

प्रापर्टी पता	अनु. निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट)	आरक्षित मूल्य (रु.)	धरोहर राशि जमा (रु.)	धरोहर राशि जमा का विवरण	ई-नीलामी की तिथि/समय
फ्लैट नं. 3067(ग्राउंड फ्लोर) सेक्टर 44-डी, चंडीगढ़	688.64	1,25,00,000	12,50,000	बोलीदाता को रेलटेल के ई-निविदा पोर्टल (https://hudcoauction.enivida.com) द्वारा धरोहर राशि जमा करवानी होगी। धरोहर राशि प्राप्ति की अंतिम तिथि 17.03.2025 है।	दिनांक 19.03.2025 समय 11.00 बजे से 13.00 बजे, बिक्री मुकम्मल होने तक प्रत्येक 10 मिनट की आटो टाइम एक्सटेंशन सहित
फ्लैट नं. 3067/1 (प्रथम मंजिल) सेक्टर 44-डी, चंडीगढ़	656.36	90,00,000	9,00,000		
फ्लैट नं. 3067/2(द्वितीय मंजिल) सेक्टर 44-डी, चंडीगढ़	656.36	79,00,000	7,90,000		

* विस्तृत शर्तों एवं प्रतिबंधों हेतु कृपया हुडको की वेबसाइट देखें : www.hudco.org.in
DI-27045 अधिकृत अधिकारी।

22 गेस्ट हाउस व होटलों को किया सील

■ जिला नगर योजनाकार की टीम ने पैरीफेरी नियंत्रित क्षेत्र में की बड़ी कार्रवाई

जिला नगर योजनाकार की टीम चंडीमंदिर से थापली रोड पर अवैध गेस्ट हाउसिस व होटलों को सील करने की कार्रवाई करते हुए। -हप्र

कालका (पंचकूला), 25 फरवरी (हप्र)

जिला नगर योजनाकार की टीम द्वारा पैरीफेरी नियंत्रित क्षेत्र चंडीमंदिर से थापली रोड पर व उसके आसपास चल रहे 22 गेस्ट हाउसिस व होटलों को सील किया गया।

यह कार्रवाई उपायुक्त मोनिका गुप्ता के मार्गदर्शन में अशोक कुमार सहायक नगर योजनाकार, मोहित शर्मा, क्षेत्रान्वेषक एवं ड्यूटी मजिस्ट्रेट ऋषि अरोड़ा की उपस्थिति में संपन्न हुई। जिला नगर योजनाकार ने बताया कि यह कार्रवाई करने से पहले विभाग द्वारा नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन इन अवैध निर्माणों को नहीं हटाया गया, जिस कारण विभाग को यह कार्रवाई करनी पड़ी। उन्होंने यह भी बताया कि कोई भी निर्माण करने या कॉलोनी विकसित करने से पहले निदेशक, नगर और ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा से अनुमति लिए बिना कोई भी अवैध निर्माण या कॉलोनी विकसित की जाती है तो विभाग उसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रखेगा।

बिना एनओसी रजिस्ट्रियों की मियाद बढ़ाई जाए : बेदी

जीरकपुर में मंगलवार को अपनी प्रापर्टी की रजिस्ट्री करवाने के लिए इंतजार करते लोग। -रवि कुमार

मोहाली, 25 फरवरी (निस)

मोहाली नगर निगम के डिप्टी मेयर कुलजीत सिंह बेदी ने पंजाब सरकार से मांग की है कि बिना एनओसी (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) रजिस्ट्रियों की अंतिम तिथि 28 फरवरी से बढ़ाकर 31 मार्च 2025 की जाए। उन्होंने दावा किया कि मोहाली समेत पूरे पंजाब में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के लिए स्लॉट की भारी कमी है, जिससे लोग रजिस्ट्रियां करवाने में असमर्थ हैं। डिप्टी मेयर ने बताया कि ऑनलाइन स्लॉट 28 फरवरी से पहले ही फुल हो चुके हैं, जिससे तहसील कार्यालयों में लंबी लाइनें लग रही हैं। सरकार द्वारा अतिरिक्त स्लॉट जारी नहीं करने से जनता परेशान है। कई बार तहसीलदार और अधिकारी मीटिंग में व्यस्त होते हैं या कार्यालय से बाहर रहते हैं, जिससे रजिस्ट्रियां लंबित रह जाती हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार जनता की भलाई चाहती है, तो रजिस्ट्रियों की मियाद 31 मार्च 2025 तक बढ़ाई जाए। इससे न सिर्फ जनता को राहत मिलेगी, बल्कि सरकार को अधिक राजस्व भी प्राप्त होगा। यदि तिथि नहीं बढ़ाई जाती, तो अतिरिक्त कर्मचारी तैनात कर अधिक स्लॉट खोले जाएं, ताकि सभी की रजिस्ट्रियां समय पर हो सकें।

डिप्टी मेयर बेदी ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने तुरंत निर्णय नहीं लिया, तो जनता नाराज होकर सरकार के खिलाफ आंदोलन कर सकती है।

बॉक्सिंग मैच में खेलते खिलाड़ी को हार्ट अटैक, मौत

मोहाली, 25 फरवरी (हप्र)

चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में इन दिनों चल रही ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी वुशू चैम्पियनशिप के दौरान एक युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि चलते मैच में युवक को हार्ट अटैक आ गया। मोहित 3 दिन पहले चैम्पियनशिप खेलने के लिए आया था। वहीं दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि रिंग में फाइट करते हुए युवक की गर्दन व सिर के नाजुक हिस्से पर मुक्का लगने से उसकी मौत हुई है। मृतक युवक की पहचान जयपुर के रहने वाले 21 वर्षीय मोहित शर्मा के रूप में हुई है। हालांकि मृतक का शव सिविल अस्पताल खरड़ ले जाया गया था। बताया जा रहा है कि परिवार ने पोस्टमार्टम करवाने से मना कर दिया था। घटना का वीडियो सामने आया है। मोहित रिंग में प्रतिद्वंद्वी के साथ बॉक्सिंग कर रहा है। कुछेक मिनट मैच में दोनों खिलाड़ी लड़ते नजर आ रहे हैं। उसका विरोधी खिलाड़ी फाइट करता हुआ मोहित को रिंग से बाहर ले जाता है और दोनों गिर जाते हैं। इसके बाद दोनों खिलाड़ी खड़े होकर रिंग में पहुंच जाते हैं। फिर अचानक मोहित रिंग में मुंह के बल गिर गया। रेफरी से तुरंत दूसरे लोगों को बुलाया और मोहित को उठाकर खरड़ के सिविल अस्पताल ले गए। वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।

Form No. 3 [See Regulation-15(1)(a)]/ 16(3)

ऋण वसूली अधिकरण, चंडीगढ़ (DRT 2)
एससीओ 33-34-35, प्रथम तल, सेक्टर 17-ए, चंडीगढ़
(तृतीय एवं चतुर्थ तल पर अतिरिक्त स्थान भी अलाट)

ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया) रूल्ज़, 1993 के रूल 5 के उप-रूल (2 ए) की सहपठित धारा 19 की उप-धारा (4) के तहत सम्मन

Exh. No. 24937 **सम्मन** केस नं. OA/1213/2024

एचडीएफसी बैंक बनाम ओम प्रकाश

1. ओम प्रकाश उर्फ ओमा पुत्र मंगल राम निवासी म. नं. 232, नेहरू गार्डन कालोनी, तह. व जिला कैथल (हरि.)-136027
2. वीरेन्द्र सिंह मकान नं. 259, नेहरू गार्डन कालोनी, तह. व जिला कैथल (हरि.)-136027

यतः OA/1213/2024 को माननीय सभापति/रजिस्ट्रार के समक्ष 20.12.2024 के लिए लिस्टिड किया गया।

यतः इस माननीय अधिकरण द्वारा अधिनियम की धारा 19(4) के तहत उक्त आवेदन पर नोटिस/सम्मन जारी किया जा रहा है। रु. 22,74,489/- के ऋणों की वसूली हेतु आपके प्रति (ओए) दर्ज किया गया है (दस्तावेजों आदि की प्रतियों सहित आवेदन संलग्न)।

अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के अनुरूप आप, प्रतिवादियों को निम्नानुसार निर्देश दिए जाते हैं :-

(i) सम्मन की तामील होने के 30 दिनों के भीतर कारण बताओ कि क्यों आवेदित राहत हेतु ग्रांट न दी जाए;
(ii) मूल आवेदन के क्रमांक 3 ए के तहत आवेदक द्वारा निर्दिष्ट परिसम्पत्तियों तथा प्रॉपर्टियों के अतिरिक्त परिसम्पत्तियों या प्रॉपर्टियों का विवरण बताने के लिए;
(iii) आपको प्रॉपर्टियों की अटेचमेंट के लिए आवेदन की डिस्पोजल तथा लम्बित सुनवाई, मूल आवेदन के क्रमांक 3 ए के तहत बताई गई परिसम्पत्तियों तथा प्रॉपर्टियों या सुरक्षित परिसम्पत्तियों को डिस्पोज ऑफ करने या उसका लेन-देन करने से रोका जाता है।
(iv) ट्रिब्यूनल से पूर्व अनुमति लिए बिना मूल आवेदन के क्रमांक 3ए के तहत निर्दिष्ट या प्रदर्शित अन्य परिसम्पत्तियों तथा प्रॉपर्टियों तथा/या सिक्योरिटी इंट्रस्ट वाली किसी भी सम्बद्ध परिसम्पत्ति पर बिजनेस की साधारण प्रक्रिया को छोड़कर सेल, लीज या किसी अन्य विधि से हस्तांतरण करने पर आप पर प्रतिबंध रहेगा।
(v) आप को बिजनेस की साधारण प्रक्रिया के परिपालन में सुरक्षित परिसम्पत्तियों या अन्य परिसम्पत्तियों एवं प्रॉपर्टियों की बिक्री के माध्यम से बिक्री राशि प्राप्त करने के बाद उक्त परिसम्पत्तियों के संबंध में सिक्योरिटी इंट्रस्ट रखने वाले वित्तीय संस्थानों या बैंक द्वारा मेन्टेन किए गए खाते में प्राप्त बिक्री राशि को जमा करवाना होगा।

आप को यह निर्देश भी दिया जाता है कि आवेदक को एक प्रति जमा करवाने सहित लिखित स्टेटमेंट दर्ज करवायी जाए तथा 03.03.2025 को पूर्वा. 10.30 बजे रजिस्ट्रार के समक्ष पेश हों अन्यथा आप की अनुपस्थिति में आवेदन पर सुनवायी करके निर्णय ले लिया जाएगा।

आज दिनांक 27.12.2024 को मेरे हस्ताक्षर व ट्रिब्यूनल के मुद्रांक के तहत जारी।

हस्ता./-
DI-27150 सम्मन जारी करने वाले अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर।

सीबीआई ने बिजली विभाग के जेई को किया काबू

उपभोक्ता से 30 हजार रुपए रिश्वत लेने का आरोप

मनीमाजरा (हप्र) : मनीमाजरा की मोटर मार्केट में स्थित बिजली विभाग के सब डिविजन नंबर 8 के जूनियर इंजीनियर सुखविंद्र को मंगलवार को सीबीआई ने ट्रेप लगा कर बिजली उपभोक्ता से 30 हजार रुपए रिश्वत लेने के आरोप में दबोच लिया। सूत्रों के मुताबिक जेई सुखविंदर सिंह आम जनता का काम करवाने के बदले 30 हजार रुपए की मांग कर रहा था। जैसे ही उसने पैसे लिए वहां पहले से मौजूद सीबीआई की टीम ने उसे दबोच लिया। सीबीआई ने पहले ही रिश्वत के पैसों पर स्पेशल स्याही लगा रखी थी। जब आरोपी को पकड़ने के बाद उसके हाथ धुलवाए गए, तो स्याही साफ हो गई। इस दौरान सीबीआई के साथ दो स्वतंत्र गवाह भी मौजूद थे। बुधवार को जेई को सीबीआई अदालत में पेश किया जाएगा।

3 दुकानों, अवैध कालोनियों के निर्माण किए ध्वस्त

पिंजौर के गांव चरनियां में 3 दुकानों को जेसीबी से ध्वस्त करते हुए डीटीपी का तोड़फोड़ दस्ता। -निस

पिंजौर, 25 फरवरी (निस)

डीटीपी की टीम ने पिंजौर ब्लॉक के गांवों में बड़ी कार्रवाई करते हुए गांव कौना, लहरौंडी में अवैध रूप से पनप रही 2 कॉलोनियों, खोखरा की एक अवैध कॉलोनी तथा गांव चरनियां में 3 दुकानों को जेसीबी से ध्वस्त किया। तोड़फोड़ की कार्रवाई एडीटीपी अशोक कुमार, ड्यूटी मजिस्ट्रेट पुलिस हाउसिंग कोरपोरेशन एसडीई कुलदीप चंद और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में हुई। एडीटीपी अशोक ने बताया कि उक्त कॉलोनियों पर कार्रवाई करने से पहले नोटिस दिए गए थे कि अवैध निर्माणों को नहीं हटाया गया तो विभाग को यह कार्रवाई करनी पड़ी।

एमसी चुनावों के लिए फोम लाल स्टार प्रचारक

रायपुररानी, 25 फरवरी (निस)

हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आगामी नगर निगम चुनावों के मद्देनजर पार्टी प्रचार को मजबूत करने के लिए फोम लाल को स्टार प्रचारक नियुक्त किया है। फोम लाल, जो राजीव गांधी पंचायत राज संगठन के चेयरमैन हैं, रायपुररानी खंड के गांव फिरोजपुर से संबंध रखते हैं और लंबे समय से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। पंचायत स्तर पर उनकी गहरी पकड़ और संगठनात्मक क्षमता से कांग्रेस को जमीनी स्तर पर मजबूती मिलने की उम्मीद है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान के अनुसार, फोम लाल के अलावा कांग्रेस की लीगल, ह्यूमन राइट्स और आरटीआई विभाग के चेयरमैन केसी भाटिया और राज्य संयोजक डॉ. सुनील पंवार को भी स्टार प्रचारक नियुक्त किया गया है।

उपायुक्त ने जिला स्तरीय टास्क फोर्स खनन समिति की बैठक में कहा

पुलिस, माइनिंग, इंफोर्समेंट विभाग मिलकर करें नाकाबंदी

पंचकूला, 25 फरवरी (हप्र)

उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने मंगलवार को लघु सचिवालय के सभागार में आयोजित जिला स्तरीय टास्क फोर्स खनन समिति और डीएमएफ समिति की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने अधिकारियों को उचित दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि पुलिस विभाग, माइनिंग विभाग, इंफोर्समेंट विभाग मिलकर चार जगहों पर स्थाई नाकाबंदी करें। ताकि वहां से अवैध माइनिंग में लगाए गए ओवरलोडिड वाहनों को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि माइनिंग से सीधे तौर पर जो गांव प्रभावित होते हैं उनको डीएमएफ समिति फंड से लाभ दिया जाएगा। इसके लिए जिला प्रोग्राम अधिकारी को आंगनवाडी केन्द्रों के लिए, जिला खेल अधिकारी को खेल स्टेडियमों के लिए, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी गांवों के विकास कार्यों के लिए और जिला शिक्षा अधिकारी को स्कूलों के कामों के लिए अपने प्रपोजल बनाकर माइनिंग अधिकारी को भेजने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि माइनिंग के प्रभावित होने वाले गांवों में ऐसा विकास होना चाहिए, जो दूसरे गांवों के लिए आदर्श बनें।

बैठक में माइनिंग अधिकारी ने बताया कि जनवरी माह में 46 वाहन और फरवरी में 24 वाहनों को सीज किया गया। दोनों महीने में 45.35 लाख रुपये की रिकवरी की गई। उन्होंने बताया कि जनवरी माह में 14 वाहनों और छह अवैध माइनिंग करने वालों के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया। इसी तरह फरवरी माह में 10 वाहनों और 1 अवैध माइनिंग करने वालों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। इस मौके पर अतिरिक्त उपायुक्त निशा यादव, एसडीएम पंचकूला चंद्रकांत कटारिया, नगराधीश विश्वनाथ, माइनिंग अधिकारी गुरजीत सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी सतपाल कौशिक, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी संध्या, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी विशाल पराशर, जिला खेल अधिकारी भी उपस्थित थे।

जनस्वास्थ्य विभाग ने गांवों में की पानी की जांच

बरवाला, 25 फरवरी (निस)

जन स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार को मोबाइल वैन के जरिये कई गांवों में पीने के पानी की जांच की। जल एवं स्वच्छता सहायक संगठन की जिला सलाहकार आरजू चौधरी, खंड समन्वयक नरेन्द्र मोदगिल बरवाला ने बताया कि गांव सुल्तानपुर, कामी, सुंदरपुर, बरवाला नयागांव, बतौड़, मानकटबरा, बटवाल, रत्तेवाली, बूंगा, श्यामटू में पानी की जांच की। जांच के दौरान क्लोरिन, फील्ड टेस्टिंग किट पर भी जानकारी दी गई।

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक! pnb punjab national bank ...the name you can BANK upon!

सर्कल सस्त्रा सेंटर, निकट रैडक्रास, धर्मशाला-176215 (हि.प्र.)
[Phone No. :- 01892-223102], E-Mail :- cs8220@pnb.co.in

बिक्री प्रस्ताव

तिथि : 13.02.2025

श्री सुमन कुमार उर्फ सुमन कुमार मल्होत्रा पुत्र रवि चंद वार्ड नं. 4, कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि.प्र.)-176001 (कर्जदार स्व. श्री रवि चंद एवं सह-कर्जदार स्व. श्रीमती बिमला देवी के कानूनी वारिस) एवं गारंटर।	श्रीमती शारुल पुत्री श्रीमती किरण पुत्री रवि चंद वार्ड नं. 4, कांगड़ा जिला कांगड़ा (हि.प्र.)-176001 (सह-कर्जदार स्व. श्रीमती किरण कुमारी के कानूनी वारिस)।
श्रीमती पारुल पुत्री श्रीमती किरण पुत्री रवि चंद वार्ड नं. 4, कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि.प्र.) (सह-कर्जदार श्रीमती किरण कुमारी के कानूनी वारिस)।	

सिक्योरिटीजेशन इंट्रस्ट (एनफोर्समेंट) रूल्ज़ 2002 के साथ पड़े जाने वाले सिक्योरिटीजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन आफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट आफ सिक्योरिटी इंट्रस्ट एक्ट, 2002 की दफा 13(4) अधीन नोटिस।

विषय : सुरक्षित सम्पत्ति की बिक्री

सिक्योरिटाजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन आफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट आफ सिक्योरिटी इंट्रक्ट एक्ट, 2002 की दफा 13(2) के तहत अधोहस्ताक्षरी द्वारा जारी नोटिस दिनांक 04.09.2024 और 30.01.2025 को निम्न संपत्तियों को कब्जे में लेते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा कब्जा सूचना की तिथि 30.01.2025 के संदर्भ में।

सुविधा	सुरक्षा (विवरण दें)
Housing Loan (025000NC00084387)	जमीन की रजि. मोर्टगेज पैमायश 211.10 वर्ग मी., खाता नं. 21, खतौनी नं. 35, खसरा नं. 1481/969, 1434/970 किता 2 कुल जमीन माप 211.10 वर्ग मी. अप-मोहल गुप्त गंगा मौजा उज्जैन, तह. व जिला कांगड़ा (हि.प्र.) में, रवि चंद पुत्र लश्करी राम पुत्र चुन्नी लाल के नाम पर, जमाबंदी साल 2009-10 के अनुसार, सभी किस्म की ईजमेंट के अधिकार सहित निर्मित बिल्डिंग/सुपर स्ट्रक्चर समेत।

इस संबंध में, आपको निर्देश दिए जाते हैं कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा 31.08.2024 से किए चार्जेज+ब्याज तथा उक्त संपत्ति के कब्जे के समय इसके संरक्षण पर हुए व्यय सहित 04.09.2024 के अनुसार आप रु. 11,16,127.06 का भुगतान इस नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 30 दिन के अंदर करके अधोहस्ताक्षरी से उक्त संपत्ति को विमुक्त कराएं। नियत अवधि में भुगतान न होने पर उक्त एक्ट व नियमों के अनुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा उचित पाए जाने पर बनती राशि की वसूली के लिए उक्त संपत्ति को बेचा जाएगा।

आपका विश्वासपात्र
कृते : पंजाब नेशनल बैंक (सुरक्षित क्रेडिटर)
गिरिराज प्रसाद सैनी
(अधिकृत अफसर- चीफ मैनेजर)।
DI-27132

pnb Housing Finance Limited Ghar Ki Baat

परिशिष्ट -4-क
अचल सम्पत्ति(यों) की ई-नीलामी बिक्री सूचना
वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना

पंजीकृत कार्यालय : 9 वी मंजिल, अंतरिक्ष भवन, 22, के जी मार्ग, नई दिल्ली-110001 फोन:-011-23357171, 23357172, 23705414, वेबसाइट : www.pnbhousing.com
करनाल शाखा: पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, एससीओ 218-219, द्वितीय तल, सेक्टर 12, भाग 1, सिटी सेंटर हुडा, करनाल-132001

एतद्द्वारा सर्व साधारण को और विशेष रूप से कालम नंबर -ए में निदर्शित कर्जदार(रों) एवं गारंटर(रों) को सूचना दी जाती है कि प्रत्याभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित कालम नंबर-डी में वर्णित अचल सम्पत्ति(यां), जिसका प्रलक्षित/भौतिक कब्जा पीएनबी हाउसिंग फाईनैंस लिमिटेड (पीएनबी एचएफएल)/प्रत्याभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जा चुका है (कालम नंबर-सी में वर्णितानुसार) नीचे दिए विवरण के अनुसार "जैसी है जहां है", "जैसी है जो है" तथा "जो भी है वहां है" आधार पर बेची जाएंगी। एतद्द्वारा कालम नंबर -ए में निदर्शित कर्जदार(रों)/बंधकदाता(ओं)/संबंधित कर्जदार(रों)/बंधकदाता(ओं) (मृत्योपरान्त) के कानूनी वारिसों, कानूनी प्रतिनिधियों, (चाहे ज्ञात अथवा अज्ञात), निष्पादक(कों), प्रशासक(कों), उत्तराधिकारी(यों), समनुदेशिती(यों) को, जैसी भी स्थिति है, प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 अद्यतन संशोधित के नियम 8(6) एवं 9 के तहत सूचना दी जाती है।
बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड, प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट नामतः www.pnbhousing.com में उपलब्ध कराया गया लिंक देखें।

ऋण संख्या, कर्जदार/सह-कर्जदार का नाम गारंटर(s) (ए)	कुल बकाया राशि (बी)	कब्जा का प्रकार (सी)	बंधक रखी सम्पत्तिओं का विवरण (डी)	आरक्षित मूल्य (आरपी) (ई)	ईएमडी (आरपी का 10%) (एफ)	बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि (जी)	बोली वृद्धि राशि (एच)	निरीक्षण की तिथि एवं समय (आई)	नीलामी की तिथि एवं समय (जे)	ज्ञात ऋणभार/न्यायालय मामला, यदि कोई, (के)
00076700003973, बी.ओ.: करनाल, प्रीतम सिंह पुत्र प्रताप सिंह/श्रीमती इंद्रमुखी पत्नी प्रीतम सिंह	12.02.2025 देय तिथि तक रु.31,44,434.89	भौतिक कब्जा	प्लॉट नंबर 230, एचडीएफसी बैंक के पास, सेक्टर 13-17, हुडा पानीपत, हरियाणा -132103	रु. 36559000	रु. 3655900	17.03.2025	रु. 200000	03.03.2025 पूर्वा.10.00 बजे से अप. 5.30	18.03.2025 अप.2.00 बजे से अप. 3.00	Not Known

*उसके भुगतान तथा/अथवा वसूली की तिथि तक लागू अनुसार 18 प्रतिशत वार्षिक की दर पर भावी ब्याज, उपगत किए गए अनुषंगी खर्चों, लागत, प्रभारों इत्यादि सहित। "पीएनबी हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और जानकारी के अनुसार, उपरिवर्णित अचल/प्रतिभूत आस्तियों के संबंध में कोई अन्य ऋणभार/दावे नहीं हैं, सिवाय उनके जो कालम नंबर-के में वर्णित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त इन ऋणभारों का भुगतान/अदायगी सफल क्रेता/बोलीदाता द्वारा उसकी अपनी व्यवस्था द्वारी की जाएगी। सफल क्रेता(ओं)/बोलीदाताओं से वर्णित ऋणभारों की सत्यता का अभिनिश्चयन स्वतंत्र रूप से करने का अनुरोध किया जाता है।
1. आज की तिथि तक, पीएनबीएचएफएल/पीएनबीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी पर उपरोक्त अचल सम्पत्तियों/प्रतिभूत आस्तियों की बिक्री, हस्तांतरण तथा/अथवा निपटान के संबंध में कोई प्रतिबंध आदेश तथा/अथवा न्यायालय निषेधादेश लागू नहीं है। 2. संभावित क्रेता/बोलीदाता तथा इच्छुक पार्टियां कालम नंबर-के में वर्णित, कार्यवाही/पारित आदेश इत्यादि, यदि कोई, में बहस, जिसमें पीएनबीएचएफएल के पास उपलब्ध उसके स्वामित्व के साथ संबंधित दस्तावेजों का शीर्षक शामिल है परंतु उसी तक सीमित नहीं है, का निरीक्षण स्वतंत्र रूप से कर सकती है तथा सभी संदर्भ में अपनी संतुष्टि अपनी निविदा/बोली आवेदन प्रस्तुत करने अथवा ऑफर(स) प्रस्तुत करने से पहले कर सकती है। बोलीदाता(ओं) को बोली प्रपत्र के साथ इस नीलामी के नियमों और शर्तों पर हस्ताक्षर करने होंगे। 3. कृपया ध्यान दें कि प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(3) के अनुसार, बोलीदाता/खरीदार कानूनी रूप से बिक्री मूल्य की राशि का 25% (ब्याना सहित) जमा करने के लिए बाध्य है। पैसा, यदि कोई हो, जमा किया गया) उसी दिन या अगले कार्य दिवस की तुलना में बाद में नहीं। सुरक्षा ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(2) के अनुसार सुरक्षित लेनदार द्वारा बिक्री मूल्य का 25% प्राप्त करने के बाद ही (बोली लगाने वाले) के पक्ष में बिक्री की पुष्टि की जा सकती है। शेष 75% बिक्री पुष्टि पत्र की पावती की तारीख से 15 दिन